I/41534/2023

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)
ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP)
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार)
216 फेज़–II, पंडितवाड़ी, देहरादून–248007, दूरभाष–0135–2773800 **email: info@ugvs.org**

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक,
जिला प्रबन्धन इकाई
अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली,देहरादून,पौड़ी, पिथौरागढ़,रूद्रप्रयाग,टिहरी,उत्तरकाशी,चम्पावत, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, एवं नैनीताल

विषयः– CLF-LC के अनुबन्ध के संलग्नक 1 व 3 में अकाउन्टेन्ट कम डाटा ऐन्ट्री आपरेटर हेतु REAP परियोजना से धनराशि देने हेतु संशोधन करने विषयक।

सन्दर्भ :– पत्रांक 14961 / 2023 Date 04-02-2023, अनुबन्ध संख्या 17511 / 2023 कार्यालय UGVS- एवं CLF to –CLF LC Transformation Guidelines 33585/2023 O/O UGVS.

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि CLF-LC के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में Accountant Cum Data Entry Operator के मानदेय को CLF/USRLM Start up Fund/CLF/Suitable Head से दिये जाने का प्रावधान अनुबन्ध में किया गया था। IFAD Mission के Agreed action के क्रम में निर्णय लिया गया है कि उक्त मानदेय की धनराशि को REAP परियोजना अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप CLF-LCs के साथ किये व किये जाने वाले अनुबन्ध के संलग्न 1 व 3 में संलग्नानुसार मानदेय का भुगतान REAP परियोजना अन्तर्गत किये जाने के लिए संशोधित कर लें व Accountant Cum Data Entry Operator की नियुक्ति होने पर वित्तीय वर्ष 2023–24 से CLF-LC को तदानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– संशोधित अनुबन्ध संलग्न 1 व 3

भवदीया,

Signed by Nitika Khandelwal
Date: 03-11-2023 18:07:01

(नितिका खण्डेलवाल), IAS
परियोजना निदेशक–UGVS-REAP देहरादून।

संख्याः / /2022–23 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0एस0आर0एल0एम देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चम्पावत, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, एवं नैनीताल
4. निदेशक वित्त, UGVS-REAP देहरादून।
5. निदेशक वित्त, अभिसरण–UGVS REAP देहरादून।
6. उपनिदेशक मानव संसाधन व प्रशिक्षण, UGVS-REAP देहरादून।
7. प्रबन्धक–संस्थाएं एवं समावेश UGVS-REAP देहरादून।

(नितिका खण्डेलवाल), IAS
परियोजना निदेशक–UGVS-REAP देहरादून।

संलग्नक–1

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास **(UGVS-REAP)** एवं **USRLM** अन्तर्गत गठित संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ **(Cluster Level Federation- Livelihood Collectives)** द्वारा ''परियोजना हेतु किये जाने वाले कार्यो व विभिन्न प्रकार के सहयोग सम्बन्धी दिशा–निर्देश''

पृष्ठभूमिः

अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) तथा उत्तराखण्ड सरकार के मध्य ''ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना(**REAP**)''को क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2022 (जून) में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु परियोजनान्तर्गत विभिन्नस्तरों पर पृथक–पृथक इकाईयों का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर ''परियोजना प्रबन्धन इकाई'', जनपद स्तर पर ''प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई'' तथा विकास खण्ड स्तर पर विकासखण्ड टीम/तकनीकी सेवा संस्था के रूप में संलग्न कर कार्य एवं दायित्वों का आवंटन किया गया है। विकास खण्ड स्तर पर तैनात अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा प्रमुख रूप से प्राथमिक स्तरीय संस्थानों (Intitutions) द्वितीय स्तरीय संस्थानों (Institutions) जैसे–संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ(Cluster Level Federation-Livelihood Collectives)के गठन का कार्य व आजीविका संवर्धन उद्यम स्थापना इत्यादि को कार्य किया जाना है जिसमें इसके अतिरिक्त सामुदायिक संवेदीकरण, सूचना – प्रसार, क्षमतावर्द्धन सहित कृषि व गैर– कृषि गतिविधियों को बढावा देने हेतु तकनीकी ज्ञान का प्रसार एव बाजार व विपणन में समुदाय को सहयोग देने वाली गतिविधियों से उनकी आजीविका संवर्द्धन करना इत्यादि भी सम्मिलित है। तकनीकी सेवा संस्थाएं परियोजना घटकों के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)के प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाईयों के साथ समन्वयनकर कार्य करेगी जिनके माध्यम से भी समय–समय पर उनके विचारार्थ/ सन्दर्भित विषय (ToR)के अनुसार भी सेवाएं परियोजना व परियोजना संगठनों को दी जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत गठित संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के साथ, परियोजना मानकों के अनुरूप निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न घटकों को निम्न दिशानिर्देशानुसार क्रियान्वित किया जायेगा। समूहों के सदस्यों/ शेयरधारकों को परियोजना के माध्यम से ''समावेशी संकुल विकास एवं उद्यम विकास हेतु परिस्थिति व निर्माण के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के क्षमतावृद्धि तकनीकी सहयोग, उद्यम विकास विपणन, ग्रामीण वित्त सेवाएं इत्यादि में सहयोग दिया जाना प्रस्तावित है उक्त के मद्देनजर किये जाने वाले कार्यो व विभिन्न प्रकार के सहयोग, CLF से CLF –LC में परिवर्तित करने हेतु प्रक्रिया का विवरण व दिशा निर्देश निम्न हैं'' :–

आजीविका संगठनों के लिये मुख्य दिशानिर्देशः

गतिविधि/ कार्य	परियोजना के दिशानिर्देश	टिप्पणियां
संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ **(CLF-**	परियोजना कार्यक्षेत्र के एक क्लस्टर में लगभग 75 से अधिक स्वयं सहायता/ उत्पादक समूह होंगे। इन समूहों के सदस्यों को USRLM द्वारा गठित CLF में सदस्यों/ अंशधारियों के रूप में जोड़ा जाना है व CLF को संकुल स्तरीय	परियोजना हस्तक्षेपों के उचित एवं पारदर्शितापूर्ण क्रियान्वयन हेतु समूहों

LC) का समूहों के साथ संबंध एवं संगठन का कार्यक्षेत्र	फेडरेशन–आजीविका संघ (Cluster Level Federation-Livelihood Collectives) के रूप में रूपान्तरण किया जाना है। CLF-LC के स्थान का निर्धारण इस बात पर सर्वाधिक निर्भर करता है कि समूहों के सदस्यों की संख्या लगभग 750 से अधिक हो व बाजार तक पंहुच सुलभ रहे, बाजार संबंधी लिंकेज की सम्भावनाएं भी सर्वाधिक हों तथा आर्थिक लाभ में वृद्धि हो। अतः यहां पर आजीविका संगठनों हेतु प्रशासनिक सीमाओं को अधिक महत्व न देते हुए व्यापार से संबंधित पक्षों को केन्द्र में रखते हुए क्लस्टरों का गठन किया जायेगा जिसमें लगभग 750 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। सभी समूहों के सदस्य आजीविका संघ की सदस्यता लेंगे। सदस्य आजीविका संघ से बीज तथा कृषि आगत/उपकरण इत्यादि खरीदेंगे और अपने उत्पाद के अधिक्य का विपणन CLF/LC/किसान उत्पादन/कम्पनी के माध्यम से ही करेंगे। CLF-LC समूहों के साथ व्यवसाय योजना (Business Plans) के क्रियान्वयन हेतु समन्वयन करेंगे जिसके फलस्वरूप उत्पादों का विपणन आजीविका संगठन के माध्यम से किया जा सके।	और CLF, आजीविका संगठन के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु समय–समय पर आयोजित होने वाली गतिविधियों/ कार्यों पर परियोजना स्टाफ/सेवा प्रदाताओं द्वारा मार्ग दर्शन किया जायेगा।
संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ **(CLF-LC)** के सहयोग हेतु क्रियान्वयन व्यवस्था	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति में, प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत कार्यरत विकासखण्ड टीम व संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (Cluster Level Federation-Livelihood Collectives) के सुद्धरीकरण के कार्य में सीधे संलग्न रहेंगी। साथ ही वह अन्य गतिविधियों जैसे – संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLFs-LCs) में सदस्यता बढ़ाने, सदस्यता शुल्क तथा शेयर कैपीटल एकत्र करने इत्यादि में संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLFs-LCs) के स्टाफ के माध्यम से सहयोग करेगी।	परियोजना प्रबंणन इकाई / जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के स्टाफ/विषय – विशेषज्ञ समय–2 पर CLF-LC का मार्गदर्शन करेंगे।
परियोजना द्वारा समूह सदस्यों को दीजाने वाली **(Matching Grant for Equity Mobilisation)** धनराशि शेयर कैपिटल के रूप में जमा करने सम्बन्धी	परियोजना द्वारा समूहों को प्रथम वर्ष का सहयोग रू0 500/सदस्य (रू0 500/–परियोजना सहयोग तथा रू0 500 लाभार्थी अंशदान) सीधा संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के खाते सदस्य को शेयर राशि के रूप में परियोजना द्वारा दिया जायेगा। इसी क्रम में परियोजना द्वारा समूहों के दूसरे वर्ष का सहयोग रू0 500/– (परियोजना सहयोग रू0 500/प्रति सदस्य की दर से, जिसमें रू0 500/लाभार्थी अंशदान) प्राप्त होने के उपरान्त, उस सदस्य की शेयर कैपीटल के रूप में सीधे संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के खाते में जमा कर दिया जायेगा जिसके फलस्वरूप आजीविका संगठन में प्रत्येक सदस्य का कुल रू0 2,000/ उस सदस्य की शेयर कैपीटल के रूप में जमा होगी जिसके सापेक्ष संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) प्रत्येक वर्ष सदस्यो के	किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग संगठन के पंजीकरण उपरान्त, परियोजना के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने के फलस्वरूप ही दिया जायेगा।

	आर्थिकभागेदारी के आधार पर लाभांश देगी। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) इस धनराशि से बैंको से लोन ले सकेगे व अन्य संस्थाओं से साझेदारी भी कर सकेगे।	
व्यावसायिक विकास योजना तैयार करना	व्यावसायिक योजना का फ्रेमवर्क, फॉर्मेट और टूल्स का उपयोग आजीविका संगठन की व्यावसायिक योजना के सुगमीकरण के लिये किया जायेगा। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) की व्यावसायिक योजना बनाने में सेवा प्रदाताओं / संस्थाओं /स्टाफ द्वारा सम्पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC)के गठन के साथ ही व्यावसायिक योजना को चरणबद्व रूप से (Sequential manner) क्रियान्वित किया जायेगा।	Business Plan तैयार करने के लिये परियोजना स्टाफ / प्रदाताओं/ संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
आजीविका संगठन को व्यावसायिक (**Business Plans**)क्रियान्वयन हेतु सहयोग	प्रत्येक आजीविका संगठन को, एक मुश्त 80:20 परियाजना व लाभार्थी अंशदान के अनुपात में रू0 5,00,000/ दिये जायेंगे। (80 प्रतिशत परियोजना धनराशि 4,00,000/–तथा 20 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान रू0 1,00,000/–आजीविका संघ द्वारा अपने स्रोतों से जुटायी जायेगी) यावसायिक योजना (Business Plans) के आंकलन के बाद प्रभागीय इकाई से सीधे संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) को व्यवसाय योजना के क्रियान्वयन (Execution) हेतु रू0 5,00,000 (working capital) की धनराशि दी जायेगी।	विकासखण्ड स्तर की टीम के द्वारा प्राथमिक आंकलन करने के उपरान्त प्रभागीय इकाई में जमा किया जायेगा व संतोषप्रद होने पर धनराशि (working capital) CLF-LC) को हस्तांतरित की जायेगी।
बुनियादी ढांचे के लिये सहयोग	संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) को छोटे ढांचागत निमार्ण हेतु भी सहयोग प्रदान किया जा सकता है, जिसका उपयोग समूहों के सदस्यों सहित संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के निर्णयानुसार समुदाय के अन्य परिवार भी कर सकते हैं। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) इसमें मुख्यतः स्थान चयन व भूमि की उपलब्धता संबंधी कार्य करेगी व निर्माण कार्य परियोजना के अनुरूप जिला इकाईयों द्वारा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं / संस्थाओं द्वारा करवाया जायेगा।	ढांचागत निमार्ण हेतु पृथक रूप से निर्देश जारी किये जायेंगे।
मार्केटिंग या विपणन हेतु सहयोग	ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें परियोजना की सेवा प्रदाताओं / संस्थाओं /, प्रभागीय इकाईयों तथा परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से मुख्य सहयोग प्रदान करेगी।	सेवा प्रदाताओं / संस्थाओं / स्टाफ द्वारा CLF-LC को समय–समय पर

	संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC)से जुड़े समूहों के सदस्यों के उत्पादों के नियमित विपणन हेतु सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों से लिंकेजेज (Private Partnership Alliance) स्थापित करवाये जायेंगे। परियोजना संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) वैल्यूचेन को मजबूत करने तथा स्टोरेज व संचार आदि से जुड़ी विभिन्न ढांचागत सुविधाओं हेतु सहयोग प्रदान करेगी। परिवहन व्यवस्था के लिये भी परियोजना, विभिन्न एजेंसियों से लिंकेजेज बनाकर यथासंभव सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेगी।	मार्गदर्श किया जायेगा।
ग्रामीण वित्त हेतु लिंकेज स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना	उद्यम स्थापना हेतु उपासक द्वारा बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) व सदस्यों को विभिन्न बैंकों तथा वित्त निगमों से लिंकेजेज बनाकर आजीविका वित्त हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं इन्श्योरेन्स इत्यादि भी करवाये जायेंगे।	उपासक द्वारा बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ हेतु आजीविका वित्त (CCL/TL) एवं इन्श्योरेन्स हेत सहयोग किया जायेगा
संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ **(CLF-LC)** हेतु परियोजना द्वारा दिये जाने वाले कर्मचारी व उनकी भूमिकाएं	क) व्यापार प्रोत्साहक – 01 पद प्रति आजीविका संगठन न्यूनतम योग्यताः किसी भी विषय में स्नातक (BSc Agriculture/ Economics/BSW वांछनीय विषय के उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी), ग्रामीण आजीविका विकास परियोजनाओं/स्कीम/गतिविधियों में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। भूमिकायें एवं दायित्वः उत्पादन समूहों का गठन व समूह सदस्यों की आजीविका में वृद्धि करने के लिये संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC)की गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा प्रबंधन का पूरा दायित्व। सभी प्रकार की रिपोर्टों को तैयार करना तथा उनको एकत्र कर उनका दस्तावेजीकरण करना। UGVS HQs, DMUs तथा रेखीय विभागों/एजेंसियों और समुदाय से समन्वयन बनाना। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC)सदस्यों के उत्पादन, मूल्य वृद्धि, विपणन से लेकर अंतिम उत्पाद तक की प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाने का दायित्व। सभी प्रकार की बैठकों तथा कार्यशालाओं में प्रतिनिधित्व, संगठनों के कार्यकर्ताओं व सदस्यों के क्षमतावर्द्धन का दायित्व। ख. समूह मोविलाइजर/सुगमकर्ताः इनकी संख्या प्रति संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) में 2 होगी।	संलग्नक–2 के अनुसार

	न्यूनतम योग्यताः बारहवीं कक्षा पास (Economics/Math वांछनीय विषय के उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी), स्थानीय समुदाय का निवासी होना अनिवार्य। समूह सदस्यों को वरीयता दी जायेगी। समूह सुगमीकरण में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। भूमिकायें एवं दायित्वः उत्पादक समूहों के गठन व स्वशक्तिकरण, संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) की व्यावसायिक सुगमीकरण गतिविधियों का व्यावसायिक समन्वयन करना, CLF- LCs की सदस्यता बढ़ाना, समुदाय को प्रोत्साहित करना तथा सभी पहलुओं पर व्यावसायिक विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। ग. एकाउंटेंट कम डेटा इन्ट्री ऑपरेटर –01 पद प्रति आजीविका संघ। न्यूनतम योग्यताः बारहवीं कक्षा पास (वाणिज्य या गणित के उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी), कम्प्यूटर तथा लेखा कार्य का ज्ञान, MS ऑफिस का ज्ञान, MIS और दस्तावेजीकरण, रिपोर्ट लेखन। ऊपर दिये गये सभी विषयों में 01 वर्ष का अनुभव, स्थानीय निवासी, तथा महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। दायित्व एवं भूमिकायेंः व्यापार प्रोत्साहक और समूह सुगमकर्ता को कार्यालय प्रबंधन, आजीविका संगठनों के कंप्यूटर तथा एकाउंटेंसी कार्य में सहयोग प्रदान करना। सभी प्रकार के दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्ट लेखन कार्य में सहायता देना। टैली सॉफ्टवेयर एवं ऑनलाइन MIS की एंट्री करना, एकाउंट बुक कीपिंग तथा प्रबंधन कार्य।	
लक्ष्यानुसार निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टाफ एवं कार्यालय संचालन हेतु परियोजना सहयोग	संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) को परियोजना के वर्षवार लक्ष्यानुसार निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वित हेतु मानको के आधार पर 4 कर्मचारियों का मासिक रूप से मानदेय, यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जायेगा। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) हेतु निर्धारित स्टाफ में प्रमुख रूप से व्यापार प्रोत्साहक, समूह प्रोत्साहक तथा एकाउंटेंट सम्मिलित हैं तीन वर्ष के उपरान्त अकाउन्टेन्टट के मानदेय पूर्ण रूप से CLF- LC द्वारा वहन किये जायेंगे व अन्य पदों हेतु 50 प्रतिशत धनराशि ही रीप परियोजना द्वारा वहन की जायेगी व 50 प्रतिशत CLF – LC द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। परियोजना द्वारा संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के कार्यालयों के प्रयोग एवं संचालन हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहयोग भी दिया जा सकता है।	परियोजना द्वारा संलग्नक–3 के अनुसार रू0 594,000 / –स्टाफ मानदेय हेतु संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।

परियोजना द्वारा संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ **(CLF-LC)** रेटिंग एवं ग्रेडिंग व क्षमता वृद्धि को साझा करना	ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) द्वारा संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) रेटिंग एवं ग्रेडिंग प्रत्येक दूसरे वर्ष करायी जायेगी। प्राप्त रेटिंग एवं ग्रेडिंग के निष्कर्षों केआधार पर संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) की क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों को ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) की ग्रेडिंग को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को भी साझा किया जायेगा। इस हेतु CLF-LC का स्टाफ विषय– विशेषज्ञों के आंकलन में सहयेाग करेंगे।	ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) द्वारा वाहरी विषय विशेषज्ञों के माध्यम से इस कार्य को करवाया जायेगा।
क्षमता वृद्धि व तकनीकीसहयोग	संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (Cluster Level Federation-Livelihood Collectives) को सेवा प्रदाताओं के माध्यम से, क्षमतावृद्धि तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। विभिन्न उप–घटकों तथा उनके कार्य क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से संबंधित किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था के लिये, परियोजना प्रबंधन इकाई व जिला प्रबंधन की टीम अपने स्तर से सहयोग प्रदान करेगी या इस कार्य के लिये आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं की सेवाएं लेगी।	इसमें परियोजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यशालाएं भ्रमण इत्यादि सम्मिलित हैं।
Ultra Poor package का क्रियान्वयन	संकुल स्तरीय फेडरेशान आजीविका संघ CLF- LCs Ultra Poor परिवारों का चिन्हित करने व जो Ultra Poor समूह से नहीं जुड़े होगे उन्हे समुहों में जोड़ने का कार्य करेगी साथ ही चिन्हित परिवारों को परियेाजना से व्याज रहित ऋण राशि 35,000 (Interest Free Loan Rs. 35,000) उपलब करवाएगी, तथा निश्चित अन्तराल पर धनराशि वापिस/वसूलने का कार्य करेगी। वापिस की गई धनराशि का उपयोग CLF-LCs द्वारा चक्रीय राशि (Revolving fund) के रूप में किया जायेगा। इस व्याज रहित ऋण राशि (Interest Free Loan) के प्रभावी उपयोग हेतु विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण भी किया जायेगा।	परियोजना द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे।
महिला श्रम न्यूनीकरण गतिविधियां	महिला श्रम न्यूनीकरण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु CLF-LC द्वारा कृषि विभाग की फार्म मशीनरी योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जायेंगे। फार्म मशीनरी बैंक के कृषि उपकरणों को ग्राम संगठनो/समूहों को लीज पर दिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे उपकरण जो हल्के व महिलाओं के कार्यबोझ को कम करेंगे को भी CLF-LCs द्वारा ग्राम संगठनो/समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु परियोजना द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	परियोजना द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नक–3

संकुल स्तरीय फेडरेशन–आजीविका संघ (CLF-LC) हेतु बजट (Budget for CLF-LC)

आजीविका संगठन का नाम :

	विवरण	व्यक्तियों / यूनिट की संख्या	प्रतिमाह धनराशि	वार्षिक धनराशि (रू0 में)
A	**Staff Honorarium**			
	व्यापार प्रोत्साहक	1	15000	180000
	समूह सुगमकर्ता	2	20000	240000
	एकाउंटेंट कम डेटाइन्ट्री ऑपरेटर (REAP-UGVS)	1	12000	144000
	योग **A**		47000	564000
B	**Office Management Expenses (Support Budget)**			
	कार्यालय प्रबन्धन व्यय / ओवरहैड	प्रतिमाह	2500	30000
	योग **B**		2500	30000
C	योग **(A+ B)**		49500	594000

नोट–

1. अनुबन्धित अवधि के सापेक्ष उक्त धनराशि बढाई अथवा घटाई जा सकती है।
2. तीन वर्ष के उपरान्त अकाउन्टेन्टट के मानदेय पूर्ण रूप से CLF- LC द्वारा वहन किये जायेंगे व अन्य पदों हेतु 50 प्रतिशत धनराशि ही रीप परियोजना द्वारा वहन की जायेगी व 50 प्रतिशत CLF – LC द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
3. कार्यालय प्रबन्धन व्यय/ओवरहैड (Electricity bill/stationary/Meeting expences/Staff Insurance) हेतु आजीविका संघ के निर्णय के आधार पर देय होगा।
4. संकुलस्तरीय फेडरेशन–आजीविकासंघ (CLF-LC) द्वारा उक्त तालिका के बिन्दु सं0 A में वर्णित 4 स्टाफ की नियुक्ति करनी आवश्यक होगी, अन्यथा की स्थिति में स्टाफ कम होने पर मानदेय में कटौती की जाएगी।
5. DPMU-REAP द्वारा CLF- LC को प्रथम छः माह हेतु धनराशि अग्रिम दी जायेगी व इसके पश्चात द्वितीय किश्त DPMU व USRLM की समीक्षा के उपरान्त दी जायेगी अथवा REAP - PMU द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में किया जायेगा।